POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 18.09.2025

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा 07 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 17.09.2025 को थाना बिसरख क्षेत्रान्तर्गत ट्राइडेंट एम्बेसी सोसाइटी में एओए के चुनाव के लेकर दो पक्षो में आपस में झगडा/मारपीट हुई थी। घटना के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 722/2025 धारा 115(2),352,351(3) बीएनएस तथा द्वितीय पक्ष की लिखित तहरीर तहरीर के आधार पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 723/2025 धारा 115(2),352,351(3) बीएनएस पंजीतृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.09.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.धर्मेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह 2. अनिल कुमार शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा 3. तुषार चौधरी पुत्र धर्मेन्द्र सिंह 4. वरुण सिंह पुत्र गोपाल सिंह 5. विपिन वत्स पुत्र रोहन लाल 6. नितिन चावला पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार 7. रजत सिसोदिया पुत्र सत्यपाल सिंह सिसोदिया दोनो पक्षो को ट्राइडेंट एम्बेसी सोसाइटी से ही शान्ति व्यवस्था भंग करने पर **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

प्रथम पक्ष--

1. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी बी-102 ट्राइडेन्ट एम्बेसी सोसाइटी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 55 वर्ष
2. अनिल कुमार शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी बी-602 ट्राइडेन्ट एम्बेसी सोसाइटी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 52 वर्ष
3. तुषार चौधरी पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी बी-102 ट्राइडेन्ट एम्बेसी सोसाइटी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 18 वर्ष

द्वितीय पक्ष--

4. वरुण सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी आई -1404 ट्राइडेन्ट एम्बेसी सोसाइटी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 36 वर्ष
5. विपिन वत्स पुत्र रोहन लाल निवासी सी-704 ट्राइडेन्ट एम्बेसी सोसाइटी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 32 वर्ष

6. नितिन चावला पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार निवासी एल -102 ट्राइडेन्ट एम्बेसी सोसाइटी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 36 वर्ष
7. रजत सिसोदिया पुत्र सत्यपाल सिंह सिसोदिया निवासी एच- 902 ट्राइडेन्ट एम्बेसी सोसाइटी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 34 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0722/2025 धारा 115(2),352,351(3) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0723/2025 धारा 115(2),352,351(3) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

2.थाना साइबर क्रामइ नोएडा पुलिस द्वारा वादी को डिजिटल अरेस्ट कर 1,70,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले गैंग के 03 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18/09/2025 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादी को डिजिटल अरेस्ट कर 1,70,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले 03 अभियुक्त को जनपद गाजियाबाद से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी निवासी सेक्टर 62 नोएडा गौतमबुद्धनगर ने दिनांक 16/09/2025 को मु0अ0सं0-0104/2025 धारा 308(2), 319(2), 318(4) बी0 एन0 एस0 व 66 डी आई.टी.एक्ट का अभियोग थाना साइबर क्राइम नोएडा पर अभियोग पंजीकृत कराया जिसमें साइबर अपराधी द्वारा वादी को डिजिटल अरेस्ट कर स्वयं को सीबीआई अधिकारी बताते हुए वादी मुकदमा के मोबाईल फोन का प्रयोग नरेश गोयल स्कैम में अवैध गतिविधियों में किए जाने की जाँच के नाम पर वीडियो काल के माध्यम से डिजीटल अरेस्ट कर गिरफ़्तारी का भय दिखा कर 1,70,00,000/-रुपए की धोखाधड़ी की गयी। विवेचना मे त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी मे लिप्त संदिग्ध बैंक खातो को तत्काल फ्रीज़ कराया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पैसा इनके द्वारा स्वयं के बैंक खातों में प्राप्त किया जाता है तथा ए0टी0एम0 के माध्यम से रूपये निकालकर अपने अन्य साथी अभियुक्तो के खातो में जमा कर दिये जाते थे। जिसके बदले में इनको 10 प्रतिशत कमीशन मिलता था तथा इनके द्वारा अपने बैंक खाते किराये पर भी अपने अन्य साथियो को दिये जाते थे। घटना में प्रयोग किये गये बैंक खातों के विरूद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर विभिन्न राज्यो से 06 शिकायते दर्ज है। अभियुक्त प्रिंस के बैंक खाते में घटना से सम्बन्धित 02 लाख रूपये, अभियुक्त अवनीश कुमार के बैंक खाते में 72 हजार रूपये व विद्यासागर के बैंक खाते में 57 हजार रूपये आये है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ़्तारी शीघ्र की जाएगी।

नोट:- मुकदमा उपरोक्त मे वादी के साथ हुई धोखाधड़ी की 17,48,000 रुपये फ्रीज़ कराए जा चुके है, रिफन्ड की कार्यवाही प्रचलित है।

धोखाधड़ी मे प्रयुक्त बैंक खाते को NCRP PORTAL पर चेक करने पर कुल 06 शिकायते (विभिन्न राज्यो से) दर्ज पाई गई है, जिसके संबंध मे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. प्रिन्स कुमार पुत्र नवीन सिंह निवासी मानपुर थाना गमरहीया जिला मधेपुरा बिहार।
2. विद्यासागर यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी नलापट्टी थाना बन्हेडी जिला दरभंगा बिहार।
3. अवनीश कुमार पुत्र अंजनी कुमार निवासी आनकपुर गनी थाना हथौडी जिला मुजफ्फरपुर बिहार।

नोट :- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु--

1. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाट्सअप कॉल और video call द्वारा पुलिस की वर्दी पहन कर किये जा रहे कॉल पर यकीन करने से पूर्व उक्त मो0न0 और बताये गये नाम व पद को GOOGLE SEARCH के द्वारा अथवा सम्बन्धित विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध अधिकारियों का और उनकी तैनाती स्थल की जाँच पडताल के बाद ही बतायी जा रही किसी बात का यकीन करें।
2. किये गये What's app call और video call के विषय में एक बार कोई जानकारी साझा करने से पूर्व उक्त मो0न0 के विषय में निकटवर्ती Cyber cell आथवा सम्बंधित विभाग जैसे नार्कोटिक्स, फेडेक्त कोरियर, CBI आदि विभिन्न संस्थानो के हेल्प डेस्क से भी जॉच पडताल करें।
3. अगर आपके द्वारा कोई भी पार्सल नही भेजा गया है अथवा पार्सल में यदि बताया जा रहा है कि एक पार्सल मिला है जिसमें आपका आधार कार्ड या मो0न0 मिला है उक्त कॉल पर यकीन ना करें वह साइबर क्रिमिनल का कॉल हो सकता है। अगर किसी विधिक कानूनी कार्यवाही की धमकी दी जा रही हो तो घबराये नही तत्काल इस बात की सूचना सम्बन्धित / निकटवर्ती थाने में अवश्य दें।
4. अगर आपके आधार की आई0डी0 /आपके नाम से कोई बैंक खाता खोले जाने की बात कही जा रही हो तो उसे तत्काल ब्लॉक कराने के लिये सम्बन्धित नजदीकी बैंक जाकर उक्त के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर उक्त बैंक खाते को बन्द कराने की कार्यवाही को अमल में लाया जाये।
5. यदि What's app call और video call द्वारा आपके खाते में हवाला अथवा मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बन्धित धनराशि आने की बात कही जाये तो उक्त कॉल पर यकीन न करें क्योकि कोई भी सरकारी संस्था मनी लान्ड्रिग अथवा हवाले के पैसे के सम्बन्ध में द्वारा दूरभाष अवगत नही कराती है।
6. अगर What's app call अथवा video call द्वारा आपके खाते की जॉच के उपरान्त कोई पुलिस Clearance certificate की बात की जाती है तो यह निश्चित तौर पर Cyber Fraudsters आप को गुमराह कर आप के खाते में मौजूद बैंक धनराशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते है।
7. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यदि आपको What's app call या video call कर आपको डराया या धमकाया जाता है तो आप इसके सम्बन्ध में अपने घर में मौजूद अन्य सदस्यो अथवा रिश्तेदारो को भी इसके विषय में अवश्य जानकारी दें।

3. थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 50,000 रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक बैग व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.09.2025 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से मु0अ0सं0 486/2020 धारा 406 भादवि में वांछित 50,000 रूपये का इनामी अभियुक्त बिट्टू कुमार पुत्र सुनील को ग्राम अच्छेजा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक बैग व 01 अवैध तमंचा .315 बारे मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

बिट्टू कुमार पुत्र सुनील निवासी ग्राम राधाउर, थाना सुरसन्ड, जिला सीतामणी (बिहार) उम्र 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 486/2020 धारा 406 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 313/2023 धारा 174ए भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 255/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस
2. एक बैग